न्यायालय–नीलाम पत्र पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

–:: आदेश ::–

नी0प0मु0सं0–236/1997–98

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
नतुण्डी शाखा, बोकारो
बनाम्
सुरेश सिंह, पिता– काशी नाथ सिंह,
ग्राम+पो0–झालबरदा, चन्दनकियारी, बोकारो।

03.03.2025 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, **नतूण्डी शाखा**, बोकारो के द्वारा कुल राशि–2929.00 रू0 देनदार **सुरेश सिंह, पिता–काशी नाथ सिंह, ग्राम+पो0–झालबरदा**, चन्दनकियारी, **बोकारो** से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरूद्ध नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला हेतु गए कार्यालय प्रोसेस अनुसेवक के द्वारा तामिला प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि **''देनदार उक्त पते पर नहीं पाया गया। इसके बाद भी कई बार तिथि निर्धारित की गई परन्तु एक बार भी देनदार एवं अधियाचि उपस्थित नहीं हुए। इससे प्रतित होता है कि अधियाचि पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद में कोई रूची नहीं ली जा रही है। इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली की दिशा में कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ''**

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरूचि नही लेने के कारण **बिहार एवं उडीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा–53(II)** के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।
ह0/–
अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ह0/–
अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ज्ञापांक 290 /चन्दनकियारी, **दिनांक** 03/03/25

प्रतिलिपिः– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/25

अंचल अधिकारी–सह–
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

Digitally signed by RAVI KUMAR ANAND
Date: 2025.03.04 13:23:24 +05:30
Location: 192.168.0.126